तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसीयल जज	नंबर अहकाम हुक्म के जा...
12/07/18	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया की वादी पुश्तैनी भूमि का बराबर का हकदार होकर वादी के पिता की मृत्यु होजाने से पटवारी की भूल से नामान्तरकरण में पिता का नाम छूट जाने से जमाबन्दी संवत 2070 से 73 में दर्ज नहीं हो पाया है जिसे दर्ज किया जाना आवश्यक है। विद्वान अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में प्रस्तुत वाद / साक्ष्य के आधार पर वादी स्व. भीमा के पुत्र स्व. कुशीया की सन्तान सिद्ध होने से पुश्तैनी भूमि का हकदार सिद्ध होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम नान्दली लागोरा की जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 में विवादग्रस्त आराजीयात में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। विस्तृत निर्णय पृथक से	

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनीसीयल जज	नबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लिखा जाकर तह तीलदार आसपुर को रेकॉर्ड में अमल दरामद करावें डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेखागार जमा हो 12/11/18 उपखण्ड अधिकारी आसपुर	

Scanned by CamScanner